भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1956
जिसका उत्तर बुधवार, 03 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

मध्यस्थता की संभावना

1956. श्रीमती रक्षा निखिल खडसे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्यस्थता की संभावना के महत्व को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए कदम उठाने का विचार है जिससे लम्बी और जटिल कानूनी कार्रवाई को कम किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार ने अन्य बातों के साथ, माध्यस्थम प्रक्रिया को मैत्रीपूर्ण, लागत प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 का संशोधन किया था । भारत में संस्थागत माध्यस्थम क्रियाविधि के पूनर्विलोकन के लिए सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता के अधीन उच्च शक्ति समिति (उ. श. स.) का गठन किया था । सुझाए गए सुधारों पर, समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई, 2017 को प्रस्तुत कर दी थी, समिति की अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ, विशेषतया संस्थागत माध्यस्थम भारत में माध्यस्थम क्रिया विधि के उन्नयन और मजबूती के लिए कतिपय सिफारिशें की थी । समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए, अनुसंधान और अध्ययन का उन्नयन, अध्यापन और प्रशिक्षण को उपल्बध कराने और माध्यस्थम सुलह, मध्यस्थता और अन्य विकल्पी विवाद समाधान मामलों में सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन करने के उद्देश्यों सहित राष्ट्रीय महत्ता का एक संस्थान नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र (न.दि.अ.मा.के) माध्यस्थम संस्थान की स्थापना के लिए के लिए एक अध्यादेश " नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र अध्यादेश, 2019 " प्रख्यापित किया गया था । इसके अतिरिक्त सरकार ने देश में माध्यस्थतम प्रयोजन की महत्वता का सुधार और विस्तार करने के लिए मौलिक कदम उठाए हैं ।

****